

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
सरकार प्रदेश उत्तरप्रदेश।**

संख्या - प्राथम/पथिबि/सम्बद्धा/2019/1132

तारीख: दिनांक 15-5-2019

- कार्यालय धाम -

प्रतिन ज्ञातीय ताकतीय शिक्षा परिषद द्वारा सिद्ध कर प्राप्त आ हुनु डिप्लोमा एउरीय ताकतीय शिक्षा संस्थाओ के अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/साथद्वारा विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-3-2019 के तथ्या प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की संसदाता में परिषद कार्यालय में केवल बायन हुंडर बैठक में जाने उपरान्त आ हुनु कार्यालय में सम्बद्धता/पुत्री के सम्बन्धित संस्थाओ के सम्बद्धता विस्तार/साथद्वारा/प्रवेश प्रवेश वृद्धि/करी हेतु कर प्राप्त आ हुनु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुषंग में सम्बद्धता समिति की बैठक के मा 12 में डिप्लोमा इन कार्मेसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करी गयी नई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मसौदा विचार विचार कर निम्नार्थ निर्णय लिया गया -

ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन कार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0सी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणपश्चात् ए0आइ0सी0सी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुसार सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान विधे जाने हेतु संसुद्धि प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विधे-विमयी किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन यह प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयुक्त कर ली जाने जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यालयों में सम्मिलित कराया जा सके।

उक्त निम्नानुसार वृद्धि/संस्था के परिषद की निरीक्षण समिति एवं विधे-विमेष्य द्वारा की गयी संसुद्धि तथा सम्बद्धता समिति द्वारा विधे पर केवल के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नानुसार कार्य को प्रविष्ट करवायुक्त एवं तथ्या प्रवेश प्रवेश प्रवेश हेतु सम्बद्धता प्रदान की-जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0सी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश प्रदान	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश प्रदान
1	2018	विश्व शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश कार्मेसी शिक्षा एवं सेवाएं, सीतापुर, उत्तर प्रदेश	डिप्लोमा इन कार्मेसी	हां	हां

सम्बद्धता हेतु सूची

- संस्था ए0आइ0सी0सी0ई0 द्वारा निर्धारित की सभी सूची का पूर्ण पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद निम्नप्रमुखी 2012 तथा तथा निर्मित नियमों एवं कठोरता का अनुपालन करेगी तथा सूची निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन तर्कों द्वारा प्राप्त करेगी हेतु रक 20,000/-, परिषद की प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु रक 20,000/-, परिषद एवं प्रवेश प्रवेश का शैलीय पाठ्यक्रम हेतु शैलीय कार्मेसी पाठ्यक्रम का कार्यालय हेतु रक 20,000/- प्रेषण शुल्क की प्रत्येक प्रवेश प्रवेश का प्राप्त किया जायेगा।

**कार्यालय,
समिच, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश अध्यापक।**

संख्या— प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

तारखतः दिनांक 15-8-2020

—कार्यालय द्वारा—

अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय जीए इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिय सत्र 2020-21 हेतु जिल्ल्या सारणीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अध्यापक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यापक प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अध्यापक को अध्यापक से परिषद कार्यालय में बैठक सत्र हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि शक्ति अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुसार नए सम्बद्धता समिति की बैठक को सत्र-3 में जिल्ल्या इन सामंती पाठ्यक्रम प्रभावित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का उल्लेख रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठन विचार-विमर्श कर निम्नोक्त निर्णय लिया गया -

पिछी दौर में स्थापित विधोभा इन सामंती पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अध्यापक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीक्याईत द्वारा उन्हें सहायक अनुसूचित विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीक्याईत द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचित विस्तार के अनुसार संबंधित नाम के समुदाय अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता में सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यवाही से पीठरीक्याईत द्वारा प्रदान अनुसूचित विस्तार के अनुसार नए सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अध्यापक सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार नए जिल्ल्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अध्यापक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीक्याईत द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता	पीठरीक्याईत /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1	2064	विनीत शिक्षा केंद्रोंक इन्डियन जॉय काली शिक्षा एण्ड री-सेटिंग, सीकरपुर।	जिल्ल्या इन सामंती	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठरीक्याईत/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एण्ड अध्यापक प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1982, विनियम विनियमनाली-2015 तथा अन्य विनियम नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ सिंघारण समिति द्वारा निर्धारित सुलभ तीन वार्षिक इन्डिया पाठ्यक्रमों हेतु एक 30,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक सामंती पाठ्यक्रम हेतु एक 45,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक सामंती पाठ्यक्रम के अधीन) हेतु एक 22,50,00,00 प्रतिवर्ष सुलभ की प्रत्येक शर्त/शर्त से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधीन प्राप्त प्राप्त/शर्तों से सुलभ के सम्बद्ध में सहाय-समय पर सहाय द्वारा निर्णय किये जाने वाले आसन्नवर्ष प्रभावी होंगे, और अनुसूचित अधीनवर्षीय शिक्षा

(Handwritten Signature)

उक्त प्रावधान होगा। वित्त विधायक समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु धन का अनुमानित विवरण प्राप्त है, तो संस्था की सूचीगत वही लागू होगी।

- ✓ संस्था को (अथवा प्रविधिक विद्या समिति/उक्त या समिति/ संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाय) विनियमन-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश नहीं/वर्षिक द्वारा उपरोक्त छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के विना वह छात्र की स्थिति में उक्त प्रवेश प्रालय के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निम्न बाध्यकारी के अनुसार विविध एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (अथवा प्रविधिक विद्या समिति/उक्त या समिति/ संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाय) बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रालय द्वारा कम्प्यूटर्स एवं विधि/सिद्धान्त/अभियोग/शासनशास्त्र/निदेशों एवं निर्देशक, प्रविधिक विद्या, उक्त, अनुसूचित प्रवेश प्रवेश प्रवेश, उक्त एवं प्रविधिक विद्या प्रवेश, उक्त एवं कम्प्यूटर्स एवं विधि/सिद्धान्त, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विधि बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर आधारित की सम्बद्ध वही प्रवेश/शर्तों, नई विद्यार्थी के अनुसूचित द्वारा करने में प्रत्येक शर्तों है। जो इस संस्था में सम्बद्ध उक्त/सिद्धान्त-संस्था का होगा और विधिक सत्र के विधि में कार्यवाही के विधि संस्था एवं प्रवेश/शर्तों होगी। प्रविधिक विद्या, विनियम, अनुसूचित प्रवेश प्रवेश, प्रविधिक विद्या निर्देशक एवं प्रविधिक विद्या विभाग द्वारा प्रवेश प्रालय को कोई एक छात्र विद्या प्राप्त है उक्त छात्र सत्र के प्रवेश में मा. न्यायालय द्वारा विधि प्रवेश की प्रविधिक शर्तों आदेश निर्देश किया जाय है जो सम्बद्ध प्रविधिक शर्तों/संस्था को कम्प्यूटर्स होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर आधारित प्रवेशित करने वाली संस्थाओं को अनुसूचित प्रवेश प्रवेश प्रवेश, उक्त प्रवेश प्रवेश/शर्तों द्वारा प्रवेश शर्तों के विधि आदेशित प्रवेश प्रवेश हेतु कार्यवाही प्राप्त होने में पूर्व विनियम/शर्तों के अनुसूचित सत्र एवं प्रवेश प्रवेश/शर्तों को प्रवेशित करण होगा कम्प्यूटर्स एवं प्रवेश की (कम्प्यूटर्स/विधि के सम्बद्ध एवं प्रवेश संस्था शर्तों का शीटों प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रवेश की जायेगी।
- ✓ उक्त प्रवेश प्रालय द्वारा प्रवेश हेतु विधि/शर्तों/आदेश विधि/शर्तों का अनुसूचित करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने कम्प्यूटर्स एवं संस्था की सम्बद्ध सुलभता जैसे संस्था की प्रविधिक सुविधा/शर्तों, शर्तों-संस्था, प्रवेश/शर्तों, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, प्रवेश/शर्तों शुल्क आदि का विवरण सम्बद्ध प्रवेश/शर्तों होगा।
- ✓ संस्था को विधि-अभियोग हेतु अनुसूचित शासन/प्रवेशित करने के उक्त विधि शर्तों को सम्बद्ध में प्रवेश प्रवेश/शर्तों सम्बद्ध सुविधा/शर्तों करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि शर्तों में प्रवेशित/संस्था/प्रवेशित प्रवेश/शर्तों को प्रवेशित करने हेतु विनियम समिति के सम्बद्ध सम्बद्ध शर्तों एवं विनियम/शर्तों-संस्था, कम्प्यूटर्स, प्रवेश/शर्तों/शर्तों का शर्तों संस्था द्वारा विधि/शर्तों प्रवेश/शर्तों के सम्बद्ध में प्रवेश किया जाय है और विधि/शर्तों को प्रवेशित प्रवेश/शर्तों की है कि संस्था प्रवेश/शर्तों का प्रवेशित विधि/शर्तों एवं शर्तों के विधि का नहीं है जो सम्बद्ध संस्था की सम्बद्धता प्रवेशित विधि/शर्तों को अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ सम्बद्ध शर्तों का अनुसूचित में विधि/शर्तों प्रवेश शर्तों का सम्बद्ध विधि/शर्तों को विधि में विनियम/शर्तों अनुसूचित/प्रवेशित कार्यवाही की जायेगी।

(या) आचार्य विद्या
सचिव

पुस्तक- प्रविधिक/वर्षिक सम्बद्धता/2020/ 1872-2143 तम् दिनांक 15-08-2020
प्रविधिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, विधीय विभाग, प्रवेशित इन्स्टीट्यूट जीएम कॉलेज, विनियम एवं शर्त- संस्था,
सीतापुर।

(या) आचार्य विद्या
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2055-DILIP KISHORE MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RESORA,SITAPUR-261001			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/ छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

- ✔ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✔ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✔ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✔ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✔ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✔ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✔ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, DILIP KISHORE MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RESORA, SITAPUR-261001



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव